प्रकरण संख्याः 157/2016

उनवान

दिनेश पिता जवेरचन्द्रजी जैन जाति जैन निवासी लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

(1) राजेन्द्र पिता गोतमलाल जैन जाति जैन निवासी लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(2) रमणलाल पिता गोतमलाल जैन जाति जैन निवासी लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़
(2) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीग

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 20/8/2

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के खाते, कब्जे व आधिपत्य की कृषि सर्वे नम्बर 4701 रकबा 0.43 हे0 ग्राम लोहारिया पटवार हल्का लोहारिया तहसील गढ़ी जि बांसवाड़ा में स्थित है। जिस पर वादी काश्त करता चला आ रहा है। उक्त सर्वे नम्बर की उदयपुर–बांसवाड़ा मुख्य सड़क के मध्य बिन्दु से 130 फीट को छोड़ कर स्थित है। उक्त एंव सड़क के मध्य प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी सर्वे नम्बर 4700 रकबा 0.16 हे0 स्थित है। जिसमें से होकर वर्षो से वादी अपने खेत में आने–जाने हेतु बैलगाड़ी, ट्रेक्टर ईत लाना ले जाना करता है। वादी के पास अपने उक्त खेत में आने–जाने के लिये सर्वे 4700 के अलावा अन्य कोई रास्ता अथवा विकल्प नही है। प्रतिवादीगण द्वारा स्ड़क सी आने वाली का भूमि का फर्जी तरीके से आबादी में रूपान्तरण करवाकर उक्त भूमि में नि कार्य कर वादी का रास्ता अवरूद्व करने उतारू है। जिसे स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आव है।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री तस्लीम अहमद अभिभाषक का वकाला पेश होकर प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीग सर्वे नम्बर 4700 रकबा 0.12 हे0, सर्वे नम्बर 4670 रकबा 0.06 हे0 भूमि दिनांक 29.7.199 कृषि से अकृषि में रूपान्तरित होकर राजस्व रेकार्ड में आबादी दर्ज होने से आबादी भू क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने से वादी के वाद को निरस्त कराने निवेदन प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का वादी अभिभाषक ने जवाब प्रस्तुत कर किया कि सर्वे नम्बर 4700 की भूमि 132 फीट की सड़क सीमा में ही समाप्त हो जा जिसमें प्रतिवादीगण को कोई निर्माण करने का अधिकार नही होने का क़थन कर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र को निरस्त निवेदन किया।

उक्त प्रकरण में वर्णित समान पक्षकार एंव सर्वे नम्बर की भूमि का इस न्याया विचाराधीन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए. भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी की वस्तुस्थि रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के विरूद्व निस्तारित किया जा चुका है। अतः उक्त प्रकरण भी व विरूद्व निर्णित किया जाता है।

(रामचन्द खटी
उपखण्ड अधिक
गढ़ी

आदेश

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद वादी के विरूद्व निर्णित किया जाकर इस आ डिकी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.8.2019 को सुनाया गया।

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : रामचन्द्र खटीक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 157 / 2016

उनवान

दिनेश पिता जवेरचन्द्रजी जैन जाति जैन निवासी लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: वादी.

बनाम

(1) राजेन्द्र पिता गोतमलाल जैन जाति जैन निवासी लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(2) रमणलाल पिता गोतमलाल जैन जाति जैन निवासी लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(2) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 20 / 8 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद वादी के विरूद्व निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 20 / 8 / 2019 को जारी की गई।

(रामचन्द्र खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प बहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी